उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (लेखा-परीक्षा) अनुभाग-2
संख्या-10/2024/आई/707560/2024-10-25001/595/2021
लखनऊ:दिनांक 01 अगस्त, 2024

<u>विज्ञप्ति/नियुक्ति</u>

उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि लेखा परीक्षा सेवा समूह 'क' के अधिकारी श्री अनिल कुमार सोनी, प्रधानाचार्य, प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ को संयुक्त निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग के पद पर (ग्रेड पे रू० 7600, पे मैट्रिक्स लेवल- 12, वेतनमान रू० 78800-209200) कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नति प्रदान करते हुए निदेशालय, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, प्रयागराज में तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2- श्री अनिल कुमार सोनी की उक्त पदोन्नति मा0 उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या- 5354/2023 उ0प्र0 राज्य व अन्य बनाम श्याम सिंह व अन्य तथा मा० न्यायालय/मा० अधिकरण में योजित रिट याचिकाओं/निर्देश याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।

3- श्री अनिल कुमार सोनी संयुक्त निदेशक के पद पर तत्काल कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध कराएगें।

नियुक्ति प्राधिकारी की ओर से,

पूर्ण देव उपाध्याय
विशेष सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।
2- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ ।
3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, प्रयागराज।
4- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
5- संबंधित मुख्य कोषाधिकारी /वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
6- कार्मिक अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
7- सम्बन्धित अधिकारी।
8- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामाग्री, उ0प्र0, प्रयागराज को गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
9- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
एस0पी0 सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in